# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

**पीठासीन अधिकारी :–** हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या: 78/21 दायर दिनांक:– 09.09.2021

जीसीएमएस नं. 2021/192

1. भगवानसिंह पुत्र श्री रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर

.......वादी

सायल

1 इन्दरसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
2 भगवानसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
3 मोहनसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
4 विक्रम पुत्र स्व. टीकम जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
5 करतार पुत्र स्व. टीकम जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
6 गोरधनर पुत्र स्व. टीकम जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
7 सुषमा पुत्री स्व. टीकम जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
8 कश्मीरा पुत्री स्व. टीकम जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
9 दाताराम पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
10 दौलतसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
11 योगेन्द्रसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
12 शक्तिसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
13 ब्रिरमादेवी पत्नी नाहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
14 मिथलेश पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
15 राधा पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
16 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर

.........प्रतिवादीगण गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता –1.श्री सुरेन्द्र चौधरी प्रार्थी अधिवक्ता
2.श्री पप्पूराम अप्रार्थी संख्या 4,5,6,7, 11,12,13 अधिवक्ता

## निर्णय दिनांक 05.07.23

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ0ख0न0 283 रकबा 0.1100 हैक्टर, आ0ख0न0 284 रकबा 0.0800 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 0.1900 हेक्टर वाके ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर में स्थित है, जिसके वादी सायल 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण गैरसायलान संख्या 1 लगायत 3 वाहिस्सा बराबर 1/3 हिस्से के, तथा प्रतिवादीगण गैरसायलान संया 4 लगायत 8 वाहिस्सा बराबर 1/6 हिस्से के व प्रतिवादी गैरसायलान संख्या 9 लगायत 15 वाहिस्सा बराबर 1/6 हिस्से के काबिज काश्तकार एवं खातेदार है। मौके पर दोनों खसरा नम्बरान एक ही हो रहे हैं। तथा वादी सायल व प्रतिवादीगण गैरसायलान संख्या 1 लगायत 15 ने आराजी मुतनाजा का आपसी तौर पर

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

खसरा नम्बर 284 के उत्तर में 1/3 हिस्से का व प्रतिवादीगण ... मुतनाजा खसरा नम्बर 283 के दक्षिण में 1/3 हिस्सा को तथा खसरा नम्बर 283 व 284 के मध्य के हिस्से के 1/3 को प्रतिवादी गैरसायलान संख्या 4 लगायत 15 कब्जे काश्त करते है। तथा तीनों हिस्सों में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 283, 284 के पश्चिम की तरफ 12 फुट चौडा रास्ता छोड रखा है। तथा वादी सायल व प्रतिवादीगण गैरसायलान संख्या एक लगायत 15 इसी मुताबिक मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। मगर अभी वादी सायल व प्रतिवादीगण गैरसायलान के मध्य कानूनन कोई बंटवारा नहीं हुआ है। आराजी मुतनाजा के वजानिब दक्षिण आबादी स्थित है।

सभी खातेदारान काश्तकार शामिल काश्त मनवंट के आधार पर करते चले आ रहे हैं। मगर अब वादी सायल व प्रतिवादीगण गैरसायलान के बीच आपसी मनमुटाव हो गया है, और अब शामिल काश्त करना असम्भव हो गया है। वादी सायल ने दिनांक 17.07.2021 को प्रतिवादीगण गैरसायलान संख्या 1 लगायत 15 से आराजी मुतनाजा वर्णित मद संख्या दो बावत् बंटवारा करने को कहा, तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया। और प्रतिवादीगण गैरसायलान ने धमकी दी है कि वह वादी सायल को आराजी मुतनाजा में शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने देंगें। तथा आराजी मुतनाजा को खुर्द–बुर्द कर देंगें, तथा आराजी मुतनाजा मे बिना विभाजन निर्माण कार्य कर देंगें, तथा जो रास्ते की जमीन छोडी है, उसको अपने खेत में मिला लेंगें। तथा तुम्हारे रास्ते को बन्द कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण गैरसायलान अपनी धमकी में सफल हो गए, तो वादी सायल को असीम क्षति होगी, जो जैर नकद से पूरी नहीं सकेगी। इसलिए वादी सायल आराजी मुमनाजा का अपने हिस्से अनुसार बंटवारा करा पाने एवं प्रतिवादीगण गैरसायलान संख्या एक लगायत 15 जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का दावीदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने बावत् निवेदन किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तल्बी जरिए रजिस्टर्ड डाक से कराई गई नोटिस की ताईद में अप्रार्थीगण संख्या 4,5,6,7,11,12,13 की ओर से श्री पप्पूराम एडवोकेट उपस्थित आए एवं अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3,8,9,15 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

हमने उभयपक्ष की दलीलों व बहस पर मनन किया गया तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उभयपक्ष की सहखातेदारी की भूमि पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजीयात पर दौराने दावा पेचीदगीयां पैदा नहीं करें इसे मद्धेनजर रखते हुए आंशिक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष के विरूद्ध विवादित आराजी पर ताफैसला दावा दिनांक 09.09.21 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा पुष्ट की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 5/7/23
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०